भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2106
(जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2015 को दिया गया)

काली सूची में डाली गई कंपनियों के विरूद्ध दांडिक प्रावधान

2106. श्री अरविन्द कुमार सिंह :
श्री नीरज शेखर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** राज्य सभा में क्रमश: 24 फरवरी, 2015 और 23 दिसंबर, 2014 को अतारांकित प्रश्न 69 और अतारांकित प्रश्न 3341 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, एसएफआईओ, आरओसी तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मौजूदा कारपोरेट कानूनों के अंतर्गत काली सूची में डाले जाने के बावजूद अपनी पहचान छिपाने के लिए नाम बदल कर या किसी अन्य कंपनी के माध्यम से प्रचालन करने वाली काली सूची में डाली गई कंपनियों और उनके निदेशकों के विरूद्ध की जाने वाली दांडिक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) काली सूची में डाले जाने के बावजूद काली सूची में डाली गई कंपनियों और उनके निदेशकों को प्रचालन करने से रोकने के लिए सरकार के पास क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) मंत्रालय द्वारा राजकोट की काली सूची में डाली गई कंपनियों के विरूद्ध उनके द्वारा काली सूची में होने का तथ्य छिपाने के लिए क्या दांडिक कार्रवाई की गई; और

(घ) सांसदों/मंत्रियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के बावजूद राजकोट की कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले को जांच के लिए एसएफआईओ को नहीं भेजे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) और (ख) : कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को काली सूची में डालने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) : उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

*****